535

न्यायालय श्रीमान् ~~राजस्व मंडल~~ कोर्ट जिला रीवा (म0 प्र0)

5/4-9-12 18

R. 3115-II/12

Rs.15/-

नागेन्द्र मिश्रा तनय जगन्नाथ मिश्रा उम्र 76वर्ष पेशा–पेंशनभोगी, निवासी–बिछिया रीवा, धावन टोला, तह0–हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0) .... पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

क्रमांक 2584 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ________ को प्राप्त

<u>ब ना म</u>

1\. सोहन सिंह तनय स्व. विशेषर सिंह उम्र 57 वर्ष निवासी बिछिया, धावन टोला, चौपड़ा स्कूल के पास तह0 हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

2\. शासन म0प्र0 .... गैरपुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक

अधिवक्ता श्री ~~मणिशंकर~~ पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत रीवा, दि. 28-8-12

28/8/12

पुनरीक्षण याचिका विरूद्ध श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) द्वारा राजस्व प्र0 क्र0 187 ए–12/10–11 में पारित <u>आदेश दिनांक 30.7.2011</u>

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50म.प्र.भू.–राजस्व <u>संहिता 1959</u>

मान्यवर,

पुनरीक्षण के आधार निम्नलिखित हैं:–

1. यह कि तहसीलदार द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश अवैध, अनियमित एवं औचित्यहीन है।

2. यह कि पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक आराजी खसरा क्रमांक 964, 965 एवं 966 का स्वत्वधारी है जो सीमांकित आराजी खसरा क्रमांक 955 से लगी होने से आवेदक सरहदी कास्तकार है इसके बावजूद उसे सीमांकन की कोई सूचना दिये बिना सीमांकन किया गया है इसलिए प्रश्नाधीन आदेश अवैध है।

3. यह कि सीमांकन कार्यवाही सरहदी कास्तकारो के समक्ष किया जाना चाहिए, इसीलिए सीमांकन हेतु समीपी सरहदी कास्तकारों को व्यक्तिगत सूचना देना चाहिए और सूचना

क्रमंशः पेज क्र0 2पर

Nagendra Mishra

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R. 3115/दो/12 .... जिला रीवा

नागेन्द्र मिश्रा — सोहन सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-9-15	प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अभिभाषक को तीन बार पुकार लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया आवेदक एवं आवेदक अभि० सूचना उपरांत भी माह अप्रैल 2015 से लगातार अनुपस्थित है। आवेदक की लगातार लम्बे समय से अनुपस्थिति से तथा पुकार लगवाए जाने के बाद भी उपस्थित न होने से यह स्पष्ट है कि आवेदक को प्रकरण को चलाने में रुचि नहीं है। प्रकरण में आवेदक की अनुपस्थिति एवं अरुचि के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। (सदस्य)	

[कृ. प. उ.